




क्रमांक / छगस्वावितविवि / परीक्षा / 2019 / 2869

भिलाई, दिनांक 31/10/19

अधिसूचना

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अध्यादेश क्रमांक 14, 15 एवं 17 में संशोधन किया गया है। पाठ्यक्रम बी.ई., बी. आर्क. एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी हेतु आवश्यक प्राप्तांक 65 प्रतिशत या उससे अधिक है। संशोधित प्रावधान के अनुसार प्रथम श्रेणी हेतु आवश्यक प्राप्तांक 60 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।

यह संशोधन शिक्षा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2018 एवं इसके उपरांत उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम पर लागू होगा।


कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई